अध्याय 4 राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों में बहुविषयी अनुसंधान इकाइयों (एमआरयूएस्) की स्थापना

4.1 चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में स्वास्थ्य अनुसंधान के कार्य प्रमुखता के साथ किए जाते हैं और यहीं पर संबद्ध विशयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षण और मरीजों को विशेषीकृत चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के निमित्त चिकित्सा महाविद्यालय रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। रोगों को लेकर ज्ञान और उनके प्रबंधन में सुधार करने की दिशा में उनसे विचार प्रक्रिया तथा नवोन्मेशों के समावेश की भी अपेक्षा की जाती है। यद्यपि गत वर्षों की अवधि के दौरान यह देखा गया है कि अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों ने स्वयं को नियमित मरीज देखभाल और परंपरागत विधियों पर आधारित शिक्षण के प्रति सीमित कर लिया है। वर्तमान समय में देश के केवल कुछ राज्यों में मौजूद कुछ मुट्ठी भर संस्थानों और चिकित्सा महाविद्यालयों में गुणवत्तापरक आयुर्विज्ञान अनुसंधान व्यापक तौर पर प्राप्त है। प्रकाशित शोध पत्रों के स्तर/अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/पी–एच.डी. के विद्यार्थियों द्वारा अधिग्रहित शोध परियोजनाएं प्रेरणादायी नहीं है। विभाग की दृष्टि में इनकी वजहें हैं – शोध आयोजित करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में उचित सुविधाओं की कमी और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के द्वारा अभिप्रेरणा व ज्ञान की कमी।

4.2 बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, चिकित्सा महाविद्यालय विकृति विज्ञान संबंधी रोग पहचान, निदान और प्रबंधन अभ्यासों के लिए नई विधियों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकारों में भी स्वास्थ्य अनुसंधान को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में नहीं लिया जाता है। इन परिस्थितियों ने मुहैया की जाने वाली नैदानिक सुविधाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है।

4.3 इसलिए देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन व बढ़ावा देने और चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वारा उपयुक्त शोध सुविधाएं जुटाने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने 12वीं योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 मे बहुविषीय अनुसंधान इकाई (एमआरयू) योजना का आरंभ किया था तथा इस वर्ष के दौरान भी इसका क्रियान्वयन जारी रहा।

4.4 योजना के लक्ष्य, जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान संचालन हेतु अनुमोदन किया गया, वे हैं – बुनियादी सहायता उपलब्ध कराना (सिविल कार्यों, उपकरणों, आवर्ती व्यय) जो कि देश भर में विभिन्न राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों में **असंचारी रोगों पर केंद्रित अनुसंधान** करने के लिए थे।

4.5 इस योजना के अंतर्गत 12वीं योजना अवधि के दौरान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में 80 एमआरयू तक स्थापित किया जाना निर्धारित है। चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षकों को राश्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर शोध परियोजनाएं संचालित करने को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 503.85 करोड़ है।

अनुदान से संबंधित मानक :

4.6 उपकरण और सिविल कार्यों के लिए प्रति एमआरयू रू. 5.25 करोड़ की राशि निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, संविदा आधार पर कर्मचारियों और उपभोगीय आदि के मद में प्रति वर्ष रू. 34.00 लाख के आवर्ती व्यय को भी प्रदान किया जाता है।

राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही :

– संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में आवश्यक स्थान (न्यूनतम 300 वर्ग मीटर) निःशुल्क उपलब्ध कराना।

– पांच वर्षों के बाद केंद्र को संचालित करने का दायित्व लेने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के साथ समझौता ज्ञापन् अर्थात् मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना।

यह प्रतिवर्ष प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय के लिये लगभग रू. 34 लाख होगा।

क्रियान्वयन की स्थिति :

i. 80 चिकित्सा महाविद्यालयों को आच्छादित करने के कुल लक्ष्य के सापेक्ष 70 एमआरयूस् अनुमोदित किए गए हैं। (2013–14 में 36, 2014–15 में 13 और 2015–16 में 21)।

ii. 58 एमआरयू (2013–14 में 29, 2014–15 में 15, 2015–16 में 10 और 2016–17 में 4 को) अनुदान जारी किए गए हैं।

iii. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य योजनाओं के सापेक्ष 'यूसी' के लंबित होने की वजह से 12 चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुदान जारी नहीं किया जा सका है।

iv. रू. 24.25 करोड़ राशि के बीई/आरई प्रावधान के सापेक्ष दिसंबर 2016 तक का व्यय रू. 20.51 करोड़ है।

4.7 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में बहुशाखीय अनुसंधान इकाइयों (एमआरयूएस्) की स्थापना हेतु मंजूर 58 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों की सूची (दिसंबर 2016 तक):

तालिका (6)

क्रम संख्या	राज्य	मंजूर एमआरयू की संख्या	चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	3	1.सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा 2.एस. वी. मेडिकल कॉलेज, तिरुपति 3.आंध मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम
2.	असम	2	1.सिल्चर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, सिल्चर 2.फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, बारपेटा, असम
3.	चंडीगढ़(यूटी)	1	1.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चंड़ीगढ़
4.	छत्तीसगढ़	1	1.पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज, रायपुर
5.	दिल्ली (एनसीटी)	2	1.यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली 2.वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट, दिल्ली
6.	गोवा	1	1.गोवा मेडिकल कॉलेज
7.	गुजरात	2	1.एम. पी. शाह मेडिकल कॉलेज, जामनगर 2.सूरत म्यूनिसिपल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एसएमआईएमईआर), सूरत
8.	हरियाणा	1	1.पंडित बी. डी. शर्मा पीजीआईएमएस्, रोहतक
9.	हिमाचल प्रदेश	2	1.इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला 2.डॉ. आर. पी. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2	1.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू 2.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर
11.	झारखंड	1	1.एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर

क्रम संख्या	राज्य	मंजूर एमआरयू की संख्या	चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम
12.	कर्नाटक	5	1.मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, मैसूर 2.शिमोगा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, शिमोगा 3.कर्नाटक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, हुवली 4.मांड्या इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ 5.धारवाड़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज़
13.	केरल	2	1.मेडिकल कॉलेज, तिरुअनंतपुरम 2.कालीकट मेडिकल कॉलेज, कालीकट, केरल
14.	मध्य प्रदेश	3	1.एस. एस. मेडिकल कॉलेज, रीवा 2.नेताजी सुभाश चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर 3.एम. जी. एम. मेडिकल कॉलेज, इंदौर
15.	महाराश्ट्र	2	1.सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज एंड केईएम अस्पताल, मुंबई 2.डॉ. वी. एस. मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सोलापुर
16.	मणिपुर	1	1.रीजियनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, इंफाल
17.	उड़ीसा	3	1.एस. सी. बी. मेडिकल कॉलेज, कटक 2.वी. एस. एस. मेडिकल कॉलेज, बुरला 3.एम. के. सी. जी. मेडिकल कॉलेज, बरहामपुर
18.	पंजाब	3	1.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज़, अमृतसर 2.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज़, पटियाला 3.गुरू गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज़ एंड हास्पिटल, फरीदकोट
19.	राजस्थान	4	1.डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर 2.सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर 3.एस एम एस मेडिकल कॉलेज, राजस्थान 4.आर एन टी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान
20.	तमिलनाडु	8	1.मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई 2.तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली 3.कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर 4.डॉ. एएलएम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज, तारामनी 5.चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज, चेंगलपट्टू 6.तंजावुर मेडिकल कॉलेज, तंजावुर 7.गवर्नमेंट थेनी मेडिकल कॉलेज, थेनी 8.गवर्नमेंट मोहन कुमारमंगलम् मेडिकल कॉलेज, सेलम
21.	तेलंगाना	2	1.उस्मानिया मेडिकल कॉलेज़, हैदराबाद 2.गांधी मेडिकल कॉलेज, सिकंदराबाद
22.	त्रिपुरा	1	अगरतला गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज़

क्रम संख्या	राज्य	मंजूर एमआरयू की संख्या	चिकित्सा महाविद्यालयों के नाम
23.	उत्तरप्रदेश	2	1.किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज़, लखनऊ 2.रूरल इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एंड रिसर्च, सैफई, इटावा
24.	उत्तराखंड	2	1.गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल) 2.वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्ट्टियूट, श्रीनगर, उत्तराखंड
25.	पश्चिम बंगाल	2	1.आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता 2.इंस्ट्टियूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता
योग (25 राज्य/ संघशासित प्रदेश)		**58**	

4.8 एमआरयू हेतु अनुमोदित चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची, परंतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अन्य योजनाओं के सापेक्ष लंबित 'यूसी' के समायोजन सहित कोडल औपचारिकताओं की अपूर्णता की वजह से अनुदान जारी नहीं किया जा सका है। इनकी सूची निम्न तालिका (7) में दर्ज है:–

तालिका–7

क्र.सं.	राज्य	चिकित्सा महाविद्यालय के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	रंगाराय मेडिकल कॉलेज, काकिनाडा
2.	दिल्ली (एनसीटी)	1. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1. शेर–ए–काश्मीर मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर
4.	मध्य प्रदेश	1. जीआर मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर
5.	महाराष्ट्र	1. बी जे मेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र
6.	राजस्थान	1. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोटा 2. जे.एल.एन मेडिकल कॉजेज एंड एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हास्पिटल, अजमेर
7.	उत्तर प्रदेश	1. इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 2. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर
8.	पश्चिम बंगाल	1.नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज, कोलकाता 2. मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, कोलकाता
9.	तमिलनाडु	1. मदुरै मेडिकल कॉलेज, मदुरै
योग		**12 चिकित्सा महाविद्यालय**

एमआरयूस् के द्वारा प्रारंभ की गई शोध गतिविधियां :

4.9 संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों की शोध परामर्श समिति से अनुमोदन के बाद वे संकल्पना शोध प्रस्ताव जो सितंबर 2013 में अनुदानित की गई थी, उनकी समीक्षा शुरू की गई। असंचारी रोगों (एनसीडी) पर केंद्रित कुल 162 संकल्पना शोध प्रस्तावों को 13 नवम्बर 2014 को विशेष परियोजना समीक्षा समिति की बैठक में छंटनी की गई। इनमें से कुल 76 शोध प्रस्तावों को संक्षिप्त सूची में रखा गया। निम्न तालिका (8) में इससे संबंधित विवरण दिए गए हैं:

तालिका (8)

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय के नाम	संक्षिप्त सूची में रखे गए शोध प्रस्तावों की संख्या
1	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	2
2	सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, असम	3
3	पंडित बी.डी. शर्मा पीजीआईएमएस्, रोहतक, हरियाणा	2
4	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश	2
5	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	3
6	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	5
7	एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर, झारखंड	4
8	मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, मैसूर, कर्नाटक	4
9	शिमोगा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शिमोगा, कर्नाटक	4
10	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुरला, उड़ीसा	3
11	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर, पंजाब	3
12	मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु	3
13	तिरूनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु	4
14	कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	2
15	डॉ. एएलएम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज़, तारामनी, तमिलनाडु	6
16	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखंड	2
17	वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट, दिल्ली	3
18	सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केईएम हास्पिटल, मुंबई	1
19.	चेगलपट्टू मेडिकल कॉलेज, चेगलपट्टू	1
20.	एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक	1
21	श्री अविटोम थिरूमल हास्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, मेडिकल कॉलेज, तिरूअनंतपुरम, केरल	1
22.	एस एस मेडिकल कॉलेज, रीवा	1
23.	कर्नाटक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस्, हुबली	1
24.	सूरत म्यूनिसिपल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एसएमआईएमईआर), सूरत	2
25.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हास्पिटल, दिल्ली	7
26.	रिजियनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंफाल	4
27.	आर जी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता	2
	शोध परियोजनाओं की कुल संख्या	**76**

चूंकि प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय ने अपनी स्वयं की स्थानीय शोध परामर्श समिति (आरएसी) का गठन किया हुआ है, तो यह तय हुआ है कि डीएचआर/आईसीएमआर की अनुमति लिए बिना आरएसी द्वारा संस्तुत प्रस्तावों के अनुसार एमआरयू के अंतर्गत उन्हें शोध आयोजित/अधिग्रहित करने की स्वतंत्रता दी जाए। आईसीएमआर और डीएचआर की भूमिका केवल शोध प्रस्तावों की रूपरेखा तय करने तथा चिकित्सा महाविद्यालयों की शोध गतिविधियों एवं उपलब्धियों की प्रगति की निगरानी करना होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तीन विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक राष्ट्र स्तरीय शोध परामर्श समिति (एनएसी) का गठन समय–समय पर सुझाव देने और मार्गदर्शन करने के लिए किया जाएगा। स्थानीय आरएसी की एक सांकेतिक संचरना को भी शोध प्रस्तावों के प्रभावी एवं गुणवत्तापरक मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों को संप्रेषित किया गया है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बहु–शाखीय अनुसंधान इकाइयों की राष्ट्र स्तरीय स्थापना को दर्शाता हुआ मानचित्र

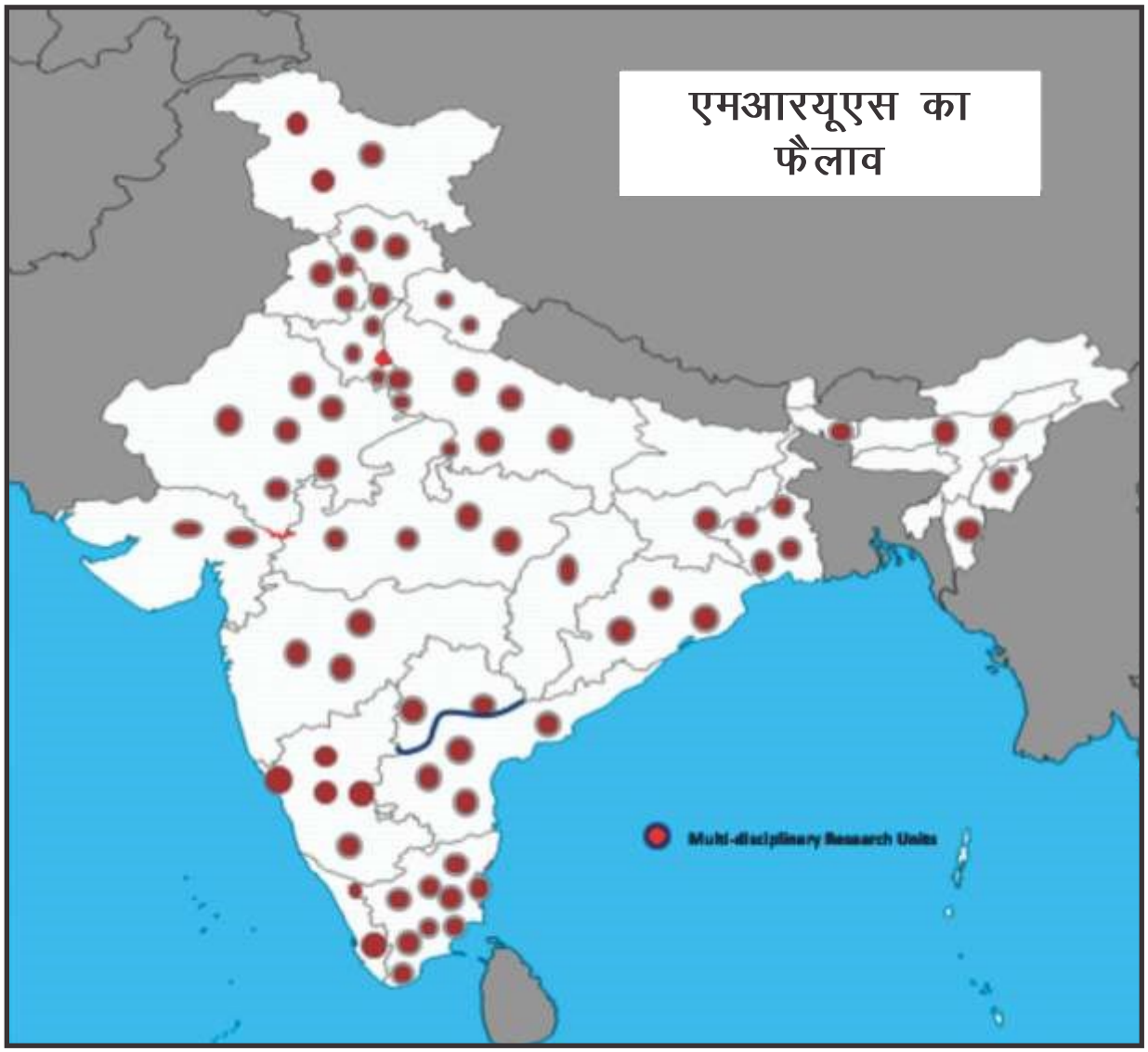

अध्याय 5 राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों (एमआरएचआरयू) की स्थापना

5.1 भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली में परिधी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक विस्तृत नेटवर्क, जिला, राज्य और अन्य स्तरों पर संदर्भ, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पताल मौजूद हैं। पिछले 60 वर्ष से भी अधिक समय से राज्यों द्वारा प्रबंध किए जा रहे इस नेटवर्क के जरिए रोकथामपरक, डायग्नोस्टिक और रोग नैदानिक सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। पेशेवरों और नीति निर्माताओं का यह एक सामान्य मत है कि रोग पहचान एवं प्रबंधन की आधुनिक विधियों को परिधीय स्तर पर नहीं आजमाया जा सकता है।

5.2 राज्य जन स्वास्थ्य प्रणाली में कार्यरत आयुर्विज्ञान चिकित्सक अपने सामान्य वातावरण में नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत आधुनिक प्रगति की दिशा में अभिमुखीकरण हेतु अवसर नहीं पाते हैं और इस कारण वे अपने कार्यों में आयुर्विज्ञान के संबंध में आधुनिक प्रगति का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से अंतिम उपभोक्ता तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण बेहद कठिन हो जाता है।

5.3 इसके आगे, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और स्थानीय दशाओं में प्रबल रोगों के पैटर्न में व्यापक भिन्नताओं के मद्देनजर जन सामान्य को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य/क्षेत्र विशिष्ट, रोग विशिष्ट रणनीति के विकास की आवश्यकता होती है। ग्रामीण स्तर पर शोध निष्कर्ष/प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी कमी के तौर पर पाया गया है।

5.4 इस अंतराल को भरने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने देश में स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु बुनियादी विकास की पहल के अंतर्गत राज्यों में **'मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों की स्थापना'** संबंधी एक योजना को संचालित किया है। यह योजना नेशनल जालमा इंस्टिट्यूट फॉर लेप्रसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीजेज (आईसीएमआर), आगरा के अंतर्गत घाटमपुर स्थित इकाई के समान इकाई की स्थापना के अनुभव पर आधारित है जहाँ रोग पहचान, उपचार और साथ ही साथ रोग विज्ञान की विधियां तृणमूल स्तर के ग्रामीण परिवेशों में कार्य योग्य होती हैं। इन इकाइयों को ये कार्य किए जाने को लेकर विचार किया गया है– नई प्रौद्योगिकियों के विकास कर्ताओं (चिकित्सीय/अन्य संस्थानों; राज्य या केंद्र में अनुसंधानकर्ताओं), स्वास्थ्य प्रणाली संचालकों (केंद्र/राज्य स्वास्थ्य सेवाओं) और लाभार्थियों (समुदाय) के बीच एक अंतरापृष्ठ (मिलन बिंदु) के रूप में कार्य करना।

5.5 इस योजना के अधीन स्थापित **मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाईयाँ** निम्नलिखित कार्य अधिग्रहित करेंगी:

i. ग्रामीण जनसमूहों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण हेतु रोग विवरण, रूग्णता पैटर्न और स्थानीय दशाओं पर आधारित राज्य/क्षेत्र विशिष्ट मॉडलों का विकास करना।

ii. आधुनिक स्थल अनुकूलनीय विधियों और विकसित मॉडलों के उपयोग हेतु राज्य स्वास्थ्य प्रणाली के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण।

iii. ग्रामीण आबादी के लिए प्रासंगिक और लाभकारी विभिन्न शोध परियोजनों को राज्य सरकार के संस्थानों तथा अन्य संगठनों के निकट समन्वय में अधिग्रहण करना।

iv. ये इकाइयां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के निकट समन्वय में रोग स्वरूप, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय दशाओं पर निर्भर राज्य विशेष के मॉडलों का विकास प्राथमिकताओं तथा स्थान के अनुसार करेंगी।

5.6 ये एमआरएचआरयू ग्रामीण क्षेत्रों में रोग पहचान एवं प्रबंधन के लिए नई/विशिष्ट प्रौद्योगिकी मुहैया कराने हेतु

मरीज, स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य शोधार्थियों के बीच मिलन बिंदु होंगे। इनकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये डीएचआर के द्वारा सहायता प्राप्त करेंगे। 12वीं योजना अवधि के दौरान कुल 15 एमआरएचआरयू स्थापित किए जाने हैं। प्रत्येक एमआरएचआरयू को नजदीकी आईसीएमआर संस्थान से जुड़कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार एमआरएचआरयू की शोध गतिविधियों के लिये मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। प्रत्येक एमआरएचआरयू में की जा रही शोध गतिविधियों पर एक समिति के द्वारा निगरानी/मार्गदर्शन किया जाता है। इस समिति में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले प्रख्यात वैज्ञानिक, राज्य सरकार, चिकित्सा महाविद्यालय, राज्य स्वास्थ्य सेवा के वैज्ञानिक और अन्य संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारीगण सदस्य के रूप में होते हैं। इस समिति के गठन संबंधी अनुमोदन सचिव, डीएचआर के द्वारा किया जाता है। समग्र 12वीं योजना के लिए परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु.67.66 करोड़ है।

अनुदान संबंधी मानकः–

सिविल कार्यों/उपकरणों के लिए प्रत्येक एमआरएचआरयू को रु.3.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कर्मचारी, उपभोगीय आदि आवर्ती खर्चों के लिए प्रति वर्ष रु.50 लाख भी दिए जाते हैं।

राज्यों से अपेक्षित कार्यवाहीः–

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)/ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के नजदीक लगभग 620 वर्ग मीटर की एक आच्छादित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु डीएचआर के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करना।

क्रियान्वयन की स्थितिः

- 12 एमआरएचआरयू पहले से ही मंजूर हो गए हैं और वर्ष 2013–14 से लेकर 2015–16 के दौरान रु.28.90 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है।
- वर्ष 2016–17 में रु.6.50 करोड़ राशि के प्रावधान के सापेक्ष, दिसंबर 2016 तक रु.2.41 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है।
- दिसंबर 2016 तक मंजूर 12 अनुमोदित एमआरएचआरयू की सूची तालिका (9) में निम्न रूप में दी गई है:

तालिका (9)

क्र.सं.	राज्य	एमआरएचआरयू की स्थिति	आईसीएमआर मार्गदर्शक संस्थान/केंद्र	संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय
1.	असम	पीएचसी, छाबुआ	आरएमआरसी, डिब्रूगढ़	असम मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल, डिब्रूगढ़
2.	हिमाचल प्रदेश	सीएचसी, हरोली	एनजेआईएल एवं ओएमडी, आगरा	डॉ. आरपीजी मेडिकल कॉलेज, टांडा
3.	राजस्थान	भानपुर कला, गवर्नमेंट हेल्थ क्लिनिक, जयपुर	डीएमआरसी, जोधपुर	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4.	तमिलनाडु	राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, तिरूनेलवेली	एनआईई, चेन्नई	तिरूनेलवेली मेडिकल कॉलेज
5.	त्रिपुरा	खेरेनगबर अस्पताल, खुमुलवुगं	आरएमआरसी, डिब्रूगढ़	अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
6.	कर्नाटक	पीएचसी, सिखर, मानवी तालुक, रायचुर	आरएमआरसी, बेलगाम	रायचुर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, रायचुर

7.	पंजाब	सीएचसी भुंगा (होशियारपुर)	एनआईओपी, नई दिल्ली	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अमृतसर
8.	महाराष्ट्र	डप जिला अस्पताल (एसडीएच) दहानु (थाणे)	एनआईआरआरएच, मुंबई	ग्रांटस् मेडिकल कॉलेज़ एवं जेजे ग्रुप ऑफ हास्पिटल्स, मुंबई
9.	आंध्र प्रदेश	पुराना आरएचटीसी परिसर, चंद्रागिरी (जिला चित्तूर)	एनआईएन, हैदराबाद	एसवी मेडिकल कॉलेज, तिरूपति
10.	उड़ीसा	ब्लॉक सीएचसी, टिगिरिया	आरएमआरसी भुवनेश्वर	एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक
11.	मध्यप्रदेश	दतिया	आरएमआरसीटी, जबलपुर	जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर
12.	छत्तीसगढ़	पीएचसी, लखाराम ब्लॉक (बिलासपुर)	आरएमआरसीटी, जबलपुर	छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, बिलासपुर

5.7 पश्चिम बंगाल और झारखंड में एमआरएचआरयू की स्थापना के लिए दिए गए प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है तथा इससे संबंधित अनुदान वर्ष 2017–18 में जारी कर दिए जाएंगे।

एमआर एच आर यू द्वारा शोध कार्यक्रमों की शुरूआतः

5.8 स्थानीय शोध परामर्श समिति (एलआरएसी) के गठन और उनके संदर्भ के नियमों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। छः एमआरएचआरयू ने निम्न तालिका (10) में दिए गए विवरण के अनुसार अपनी शोध गतिविधियों को प्रारंभ कर दिए हैं:–

तालिका (10)

क्र.सं.	एमआरएचआरयू परियोजना के नाम	संक्षिप्त सूची में रखे गए शोध प्रस्तावों की संख्या
1.	एमआरएचआरयू, सीएचसी हरोली (टांडा), हिमाचल प्रदेश	6
2.	एमआरएचआरयू, पीएचसी, छाबुआ, असम	3
3.	एमआरएचआरयू, खेरेनगबर हास्पिटल, खुमुलवुंग, त्रिपुरा	3
4.	एमआरएचआरयू, कल्लूर [डॉ. कोलंदास्वामी की अध्यक्षता में शोध परामर्श समिति (आरएसी) द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं]	5
5.	एमआरएचआरयू, भानपुर कलॉ, गवर्नमेंट हेल्थ क्लिनिक, जयपुर, राजस्थान	4
6.	आंध्र प्रदेश, पुराना आरएचटीसी परिसर, चंद्रगिरी (जिला–चित्तूर)	3

राज्यों में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाईयों (एमआरएचआरयू) की देश स्तरीय स्थापना को दर्शाता हुआ मानचित्र

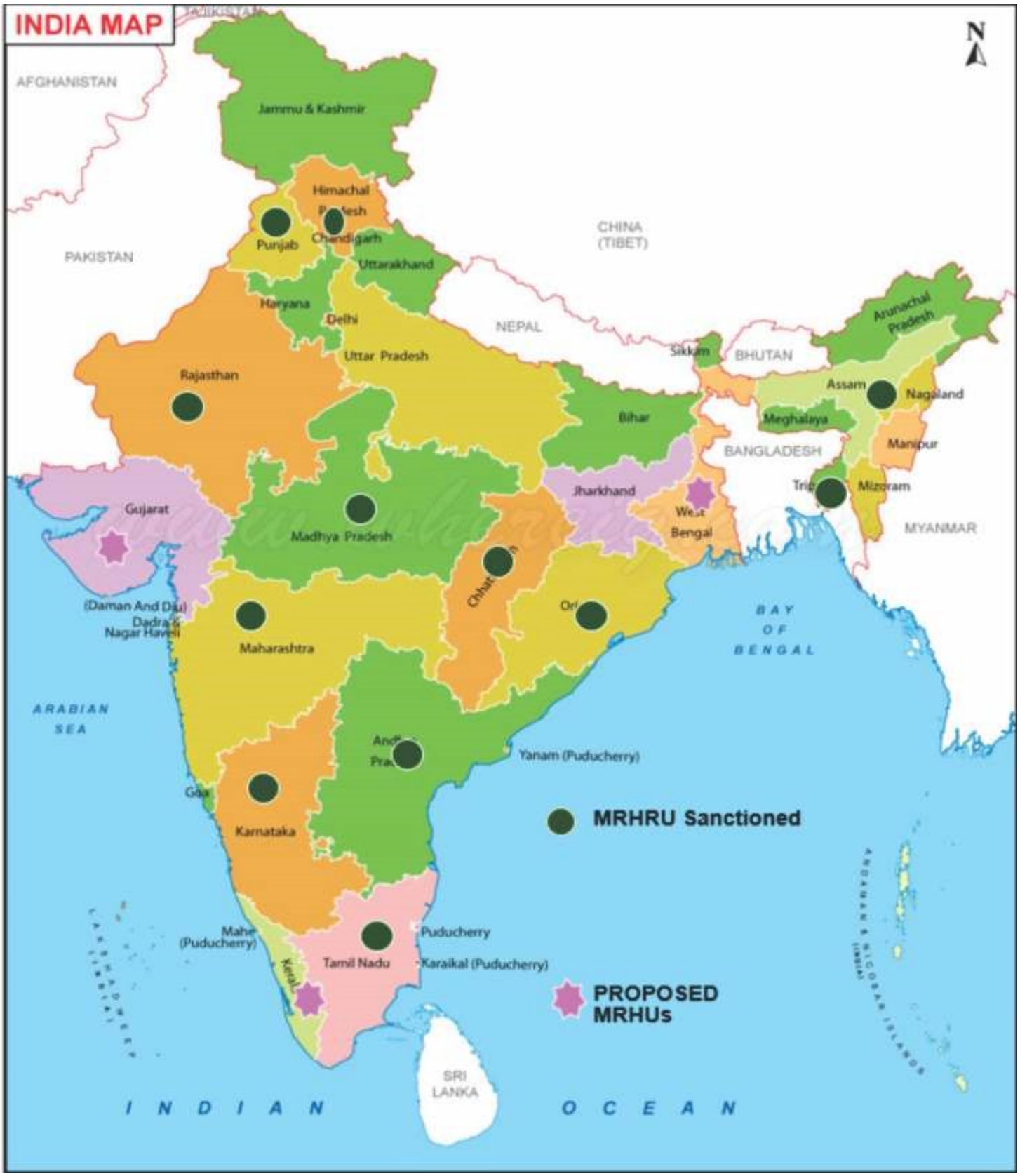

Building of Tamil Nadu MRHRU

Building of Rajasthan MRHRU

अध्याय 6 स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और निर्देशन के लिए अंतरक्षेत्रीय अभिसरण और समन्वयन के लिए ग्रांट–इन–एड स्कीम

6.1 2013–14 के दौरान आरंभ की गयी स्कीम का उद्देश्य मौजूदा जानकारी में कमी का पता लगाने और मौजूदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को प्रदेय उत्पादों में बदलने के लिए अनुसंधान जारी रखने के लिए ग्रांट–इन–एड के रूप में सहयोग प्रदान करना। क्रियान्वयन अनुसंधान पर विशेष जोर देते हुए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वयन एवं सहयोग द्वारा नवीनीकरण, उनके अनुवाद और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे कि उपलब्ध ज्ञान का बेहतर उपयोग हो सके। स्कीम को केबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने 6 फरवरी, 2014 को, कुल अनुमानित मूल्य रु 1242 करोड़ पर अनुमोदित कर दिया है।

6.2. **स्कीम में निधीकरण के लिए निम्नलिखित घटक हैं:**

(1) जन स्वास्थ्य पर जोर देते हुए शोध अध्ययन

इस घटक का उद्देश्य प्रमुख रोगों के रोग के कष्ट, खतरनाक कारक, निदान एवं उपचार आदि पर शोध अध्ययनों में सहयोग करना है। अध्ययन असंचारी रोगों तक सीमित हैं। इस वर्ग में, तीन वर्ष तक की अधिकतम अवधि और प्रत्येक रु 50 लाख – रु 3 करोड़ मूल्य के, कुल 287 अध्ययनों को कुल अनुमानित मूल्य रु 289.00 करोड़ पर निधिकृत किया जा सकता है।

(2) ट्रान्सलेशनल शोध परियोजनाएं

इस घटक का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्रों में पहले से प्राप्त जानकारी को, मूल, नैदानिक एवं परिचालन अनुसंधान में लगी एजेंसियों के बीच समन्वयन के जरिए, जन स्वास्थ्य तंत्र में उपयोग के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं में बदलना है। आईसीएमआर में पहले से उपलब्ध 75 जानकारियों पर काम करने का प्रस्ताव है, एक्स्ट्राम्यूरल परियोजनाओं से 25 जानकारियां आईसीएमआर द्वारा अनुदानित हैं और 15 अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों/संगठनों द्वारा अनुदानित हैं। एक से चार वर्षों के दौरान और रु 3 से 10 करोड़ कीमत की कुल 115 परियोजनाओं को बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रु 510 करोड़ की अनुमानित लागत द्वारा अनुदानित किया जा सकता है।

(3) संयुक्त परियोजनाओं के निधीकरण सहित अंतर–क्षेत्रीय समन्वयन

इस घटक का उद्देश्य, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और ज्ञान के स्थानांतरण के लिए देश में जैव–चिकित्सा/स्वास्थ्य अनुसंधान में लगी अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त/सहयोगपूर्ण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। रु 50 लाख–10 करोड़ तक कीमत और 2–3 वर्ष की अवधि प्रति परियोजना की 181 परियोजनाओं को, रु 298 करोड़ की अनुमानित लागत पर, इस घटक के अंतर्गत निधीकृत किया जा सकता है।

(4) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन तंत्र के जरिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का मूल्य प्रभावी विश्लेषण

अध्ययनों का उद्देश्य, जन रुचि को सुगम बनाने और स्वास्थ्य सुरक्षा मूल्य को नियंत्रित करने के लिए, विभिन्न रोगों के प्रबंधन के लिए सस्ते किंतु साध्य प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया/निदानों पर उपयुक्त अनुमोदन और निर्देश प्राप्त करना है, जबकि स्वास्थ्य उपलब्धि अधिकतम हो। रु 50 लाख से रु 2 करोड़ तक मूल्य और 1–3 वर्ष अवधि के 171 परियोजनाओं को इस घटक के अंतर्गत रु 136 करोड़ की अनुमानित राशि पर निधीकृत किया जा सकता है।

(5) विभाग द्वारा पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में विदेश में सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए आईसीएमआर एवं गैर–आईसीएमआर के वैज्ञानिकों को सहयोग तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का संचालन

घटक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/सिम्पोजिया आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए नियत है। स्वास्थ्य अनुसंधान मुद्दों पर अनुभवों को साझाा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी/सिम्पोजिया आयोजित करने की क्रिया भी इस घटक के अंतर्गत प्रस्तावित है। गैर–आईसीएमआर वैज्ञानिकों में मुख्यतः मेडीकल कालेजों के फैकल्टी और विद्यार्थी आते हैं। इस घटक की अनुमानित लागत रु 6.00 करोड़ है।

क्रियान्वयन की स्थिति:

तालिका (11)

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या		निर्मुक्त राशि (रुपए करोड़ में)
	नवीन	पहले से अनुमोदित परियोजनाओं की अगली किश्त	
2013-14	40		4.95
2014-15	100		23.26
2015-16	41	51	13.99
2016-17 (दसम्बर 2016 तक)	11	90	10.03
Total	192	141	52.23

अध्याय 7 स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास की योजना

7.1 स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास (HRD) की योजना, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में विशेषीकृत प्रशिक्षण द्वारा मेडीकल कालेजों की फैकल्टी, मिड–करियर वैज्ञानिकों, मेडीकल के विद्यार्थियों आदि की क्षमताओं को बढ़ा कर देश में प्रतिभावान स्वास्थ्य अनुसंधान कर्मियों के पूल का सृजन करने के लिए नियत है। स्वास्थ्य अनुसंधान पर विलक्षण प्रौद्योगिकियों एवं विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा ऑन लाइन वेब आधारित पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए अवसंरचनाओं के उन्नयन हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इस स्कीम का महत्वपूर्ण घटक है। उन महिला वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के लिए जिन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया हो तथा अ–निवासी भारतीयों (NRIs), भारतीय मूल के लोगों (PIO) और स्वास्थ्य अनुसंधान की गतिविधियों में विदेश में कार्यरत भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) को विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए भारत वापस आने के लिए स्कीम का एक अलग से विशिष्ट घटक भी है।

7.2. बारहवीं योजना अवधि के लिए स्कीम की कुल अनुमोदित लागत रु 597 करोड़ है जिसमें 2585 फैलोशिप प्रदान करना और प्रशिक्षार्थियों द्वारा 1694 अनुसंधान परियोजनाओं का विकास शामिल है।

शोध के प्रमुख क्षेत्र

विषविज्ञान	गुणवत्ता नियंत्रण (QC) और गुणवत्ता आश्वासन (QA)
जीनोमिक्स	आधुनिक जीवविज्ञान
प्रोटिओमिक्स	जैवप्रौद्योगिकी
जरावस्था	आनुवंशिकी
स्तंभ कोशिका अनुसंधान	औषधि रसायन
नैदानिक परीक्षण	परिचालन अनुसंधान
अच्छी नैदानिक प्रथाएं (GCP)	हेल्थ इंफार्मेटिक्स
अच्छी प्रयोगशाला प्रथाएं (GLP)	चिकित्सा नीति
रोग मॉडलिंग	स्वास्थ्य आर्थिकी
पर्यावरण स्वास्थ्य	मनसिक स्वास्थ्य/ नैदानिक मनोविज्ञान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति/राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार कमेटी द्वारा अनुमोदित अन्य क्षेत्र	

लाभार्थी:

- सरकारी मेडीकल कालेजों/संस्थानों के नियमित कर्मी
- अनुसंधान संस्थान के रूप में निजी संस्थान/गैर सरकारी संगठन (रजिस्टर्ड डीएसआईआर), भारत सरकार में पंजीकृत
- विश्वविद्यालयों, मेडीकल कालेजों, स्नातकोत्तर संस्थानों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा गैर सरकारी संगठनों में नियमित रूप से कार्यरत वैज्ञानिक

➢ वैज्ञानिक/प्रोफेशनल निकाय एवं संघ

योजना के घटक:

(1) फैलोज को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थानों को सहयोग :

इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से बनाए गए कार्यक्रमों/पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में पचास चुने हुए घरेलू संस्थानों को विभाग द्वारा चुने गए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऐसे पहचाने गए संस्थानों को कमी दूर करने/सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक बार रु 50 लाख दिए जाएंगे और पांच वर्षों तक उपकरण, उपभोज्य वस्तुओं आदि के खर्च पूरे करने के लिए रु 10 लाख प्रति वर्ष दिए जाएंगे।

(2) लघु अवधि फैलोशिप

i. नियमित फैकल्टी के रूप में कार्यरत शोधार्थियों (आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं) को भारतीय संस्थानों में लघु अवधि प्रशिक्षण (1-3 माह तक)।

ii. नियमित फैकल्टी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों (आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं) को पहचाने गए क्षेत्रों में विदेश में लघु अवधि प्रशिक्षण (1-3 माह तक)।

iii. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की तीन अन्य अनुमोदित योजनाओं में कार्यरत/शामिल मेडीकल कालेजों की मिड–करियर या सीनियर स्तर फैकल्टी को विशेष लघु अवधि प्रशिक्षण (1-3 माह तक)।

(3) दीर्घ अवधि फैलोशिप

I. 45 वर्ष से कम आयु के नियमित फैकल्टी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को भारतीय संस्थानों में दीर्घ अवधि प्रशिक्षण (6-12 माह तक)।

ii. 45 वर्ष से कम आयु के नियमित फैकल्टी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को पहचाने गए क्षेत्रों में विदेश में दीर्घ अवधि प्रशिक्षण (6-12 माह तक)।

iii. DHR की तीन अन्य अनुमोदित योजनाओं में कार्यरत/शामिल भारतीय संस्थानों में मेडीकल कालेजों की फैकल्टी (कम से कम दो व्यक्ति प्रति मेडीकल कालेज प्रति वर्ष) को विशेष दीर्घ अवधि प्रशिक्षण (6-12 माह तक)।

(4) फैलोशिप कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए

यह फैलोशिप उन महिला अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य अनुसंधान की मुख्य धारा में लाने के लिए है जिन्होंने अपने करियर से ब्रेक ले लिया था।

(5) नए क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए फैलोशिप कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेडीकल कालेजों/विश्वविद्यालयों के युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में अनुसंधान के प्रति झुकाव/प्रवृत्ति का सृजन करना है।

(6) परियोजनाओं के लिए स्टार्ट–अप ग्रांट

प्रत्येक फैलो/प्रशिक्षार्थी के लिए, जिसने अनुसंधान परियोजना विकसित की है, तीन वर्षों के लिए प्रति अनुसंधान परियोजना औसत लागत रु 30 लाख स्टार्ट–अप ग्रांट दी जाएगी।

(7) विद्यार्थियों, फैकल्टी और अन्य शोधार्थियों के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वेब पोर्टल की स्थापना के जरिए अनुसंधान को बढ़ावा देना

यह कार्यक्रम प्रत्याशित संस्थानों और व्यक्तियों को देश में अनुसंधान के लिए वित्तीय एवं तकनीकी, दोनों संसाधनों तक पहुंचने और अनुसंधान को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। इस सुविधा में निम्न सुविधाएं शामिल हैं:

- संबद्ध संस्थानों में कॉन्टैक्ट कार्यक्रमों के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम
- शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन संसाधन सामग्री
- शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन मेन्टॉरिंग
- शोधकर्ताओं के लिए इंटरएक्टिव फोरम और ई–ग्रुप्स

(8) वैज्ञानिक/प्रोफेशनल्स/संघ/निकायों को सहयोग

चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, कीटाणु विज्ञानए विकृति–विज्ञान आदि के क्षेत्र में लगे वैज्ञानिक/प्रोफेशनल्स/संघ/निकायों को मेडीकल/स्वास्थ्य अनुसंधान में उच्च मानकों को बढ़ावा देने एवं नीति निर्धारण के लिए दिशा–निर्देश बनाने के लिए तथा विभिन्न रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न गतिविधियां/ कार्यक्रम करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(9) पहचाने गए क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए विदेश में काम कर रहे स्वास्थ्य अनुसंधान कर्मियों [अ–निवासी भारतीय (NRIs), भारतीय मूल के लोग (PIOs), भारत के विदेशी नागरिक (OCI)] का भारत वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम

इस पहल का उद्देश्य विदेश में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों को वापस लाना और भारत में मेडीकल/स्वास्थ्य अनुसंधान जारी रखने के लिए आकर्षित करना है। विश्व भर से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली मेडीकल डॉक्टर्स/वैज्ञानिकों को, जो अपने अनुसंधान संबंधी उद्देश्यों को जारी रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या अन्य मेडीकल कालेजों में अपनी पसंद के शोध पदों को लेने के लिए भारत वापस आना चाहते हैं, सहयोग देने का प्राधान है।

क्रियान्वयन की स्थिति :

वर्ष -2013-14:

i. फैलोशिप **:**

तालिका (12)

क्रम संख्या	फैलोशिप के प्रकार	फैलो की संख्या	अनुमोदित राशि (रुपए लाखों में)
1.	विदेशी संस्थानों में दीर्घ अवधि	4	69.5
2.	भारती य संस्थानों में दीर्घ अवधि	3	16.5
3	भारती य संस्थानों में लघु अवधि	3	4.6
	प्रशासनिक खर्चे		3.3
कुल		**10**	**93.90**

ii.संस्थानों को सहयोग **:**

तालिका (13)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	क्षेत्र	अ-पुनरावर्ती (उपकरण आदि) (रुपए लाखों में)	पुनरावर्ती @रु.10.00 लाख प्रति वर्ष	पहले वर्ष कुल अनुमोदित राशि (रुपए लाखों में)
1.	जे. एन. मेडीकल कालेज, बेलगाम	अच्छी प्रयोगशाला प्रथाएं	कुछ नहीं	10.00	10.00
2.	जेएसएस कालेज ऑफ फार्मेसी, मैसूर	औषधि रसा यन	19.0	10.00	29.00
3.	मणिपाल कालेज ऑफ नर्सिंग, मणिपाल	जरावस्था	8.10	10.00	18.10
कुल					**57.10**

वर्ष -2014-15:

i. फैलोशिप :

तालिका (14)

फैलोशिप के प्रकार	फैलो की संख्या	अनुमोदित राशि (रुपए लाखों में)
विदेशी संस्थानों में लघु अवधि फैलोशिप	17	126
विदेशी संस्थानों में दीर्घ अवधि फैलोशिप	8	155
भारती य संस्थानों में दीर्घ अवधि फैलोशिप	1	1.90
भारती य संस्थानों में लघु अवधि फैलोशिप	4	6.2
वैज्ञानिक/प्रोफेशनल संघों/निका यों को सह योग	1	1.00
स्टार्ट–अप ग्रांट्स	6	67.5
प्रशासनिक खर्चे		20
कुल अनुमोदित राशि	**37**	**377.60**

ii.) पांच संस्थानों को सहयोग

तालिका (15)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	क्षेत्र	अनुमोदित राशि (रुपए लाखों में)
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलॉजी, पुणे	आधुनिक जीवविज्ञान	10.0
2.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मुंबई	आनुवंशिकी	10.0
3.	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसेज, नई दिल्ली	ऑपरेशनल शोध	16.0
4.	पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल एजूकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़	पर्यावरण स्वास्थ्य	57.10
5.	नूतन फार्मेसी कालेज, विसनगर, गुजरात	गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रमाण	27.75
		कुल अनुमोदित राशि	**120.85**

वर्ष -2015-16:

i. फैलोशिप :

तालिका (16)

फैलोशिप के प्रकार	फैलो की संख्या	अनुमोदित राशि (रुपए लाखों में)
विदेशी संस्थानों में दीर्घ अवधि फैलोशिप	9	169
भारती य संस्थानों में दीर्घ अवधि फैलोशिप	3	11.6
विदेशी संस्थानों में लघु अवधि फैलोशिप	9	63.60
भारती य संस्थानों में लघु अवधि फैलोशिप	5	8.2
करि यर ब्रेक करने वाली महिलाएं	13	162.60
युवा वैज्ञानिक	8	111.48
एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई	2	81.14
सम्मेलनों में सह योग	7	11.50
स्टार्ट–अप ग्रांट्स	6	112.2
कुल	**53**	**731.32**

ii.) संस्थानों को सहयोग

तालिका (17)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	क्षेत्र	अनुमोदित राशि (रुपए लाखों में)
1.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइरोलॉजी, पुणे	जानपदिकरोग विज्ञान और उभरते संक्रमणों और प्रकोप की जांच	51.30
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, भुवनेश्वर	नैदानिक और जन स्वास्थ्य आचारनीति	16.92
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, चैन्नै	ऑपरेशनल एवं क्रियान्वयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	10.00
4.	ऑल इंडिया ऑफ मेडीकल साइंस, दिल्ली	न्यूरोसर्जरी सिम्युलेशन	59.79
5.	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आईसीएमआर, मुंबई	जीनोमिक्स एवं प्रोटिओमिक्स	60.00
6	श्री देवराज उर्स एकेडमी ऑफ हायर एजूकेशन एंड रिसर्च – कोलर (कर्नाटक)	कोशिका आनुवंशिकी एवं आण्विक आनुवंशिकी	8.6
7	डॉ बी एन नागपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, नई दिल्ली -110077	स्वास्थ्य वाहक जनित रोग	20.00
8	डॉ नमिता महापात्र रीजनल मेडीकल रिसर्च सेंटर, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर	सीरो आणविक निदान	22.00
	कुल अनुमोदित राशि		**248.61**